

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 जुलाई 2011—आषाढ़ 11, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. एफ-ए-3-9-2011-1-पांच (55).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 1-क के साथ पठित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-32-94-विक-पांच, दिनांक 28 फरवरी 1995 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, उपाबन्ध में, पैरा 4 में, उप-पैरा (ख) में, मद क्रमांक 1 में, शब्द “ऊर्जा विभाग” के स्थान पर, शब्द “नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. एफ-ए-3-9-2011-1-पांच (55).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-9-2011-1-पांच, (55), दिनांक 2 जुलाई, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 2nd July 2011

F-A- 3-09-2011-1-V-(55).—In exercise of the powers conferred by Section 1-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) read with Section 12 of the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 (No. 2 of 1959), the

State Government, hereby makes the following amendment in this department's Notification No. A-3-32-94-ST-V (5) dated 28th February 1995, namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification in the Annexure, in paragraph 4, in sub-paragraph (b), in item No.1, for the words "Energy Department", the words "New and Renewable Energy Department" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. एफ-ए-3-9-2011-1-पांच (56).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 16-के साथ पठित मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-32-94-विक-पांच (69), दिनांक 14 सितम्बर 1998 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, उपाबन्ध में, पैरा 4 में, उप-पैरा (ख) में, मद क्रमांक 1 में, शब्द "ऊर्जा विभाग" के स्थान पर, शब्द "नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग" स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. एफ-ए-3-9-2011-1-पांच (56).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-9-2011-1-पांच, (56), दिनांक 2 जुलाई, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 2nd July 2011

F-A- 3-09-2011-1-V-(56).—In exercise of the powers conferred by Section 16-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) read with section 17 of the Madhya Pradesh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. A-3-32-94-ST-V (69), dated 14th September 1998, namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification in the Annexure, in paragraph 4, in sub-paragraph (b), in item No.1, for the words "Energy Department", the words "New and Renewable Energy Department" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.